# अध्याय-4

# बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

## 4.1 कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. एक्ट)[1] तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रमुख हैं, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

## 4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2022-23 में वैट/बिक्री कर-निर्धारणों से संबंधित 46 इकाइयों में से 10 (आठ राजस्व एवं दो व्यय) के अभिलेखों की नमूना-जांच से 376 मामलों में ₹ 176.80 करोड़ की राशि के कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि ***तालिका 4.1*** में दर्शाई गई है।

**तालिका 4.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम**

| **राजस्व** | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **श्रेणी** | **मामलों की संख्या** | **राशि (₹ करोड़ में)** |
| **1.** | कर का अवनिर्धारण | 93 | 72.39 |
| **2.** | इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनियमित/गलत/ अधिक अनुमति | 119 | 32.97 |
| **3.** | बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन | 51 | 18.94 |
| **4.** | दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति | 23 | 15.64 |
| **5.** | अन्य अनियमितताएं | 87 | 36.45 |
| | **कुल (I)** | **373** | **176.39** |
| **व्यय** | | | |
| **1.** | अन्य अनियमितताएं | 3 | 0.41 |
| | **कुल (II)** | **3** | **0.41** |
| | **कुल योग (I+II)** | **376** | **176.80** |

[1] यद्यपि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, फिर भी वर्ष 2017-18 के अंत में मूल्य वर्धित कर (वैट) के निर्धारण के मामले बड़ी संख्या में लंबित थे। सितंबर 2015 में, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत संशोधन के माध्यम से, कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) उस वर्ष की समाप्ति के बाद आठ वर्ष की समाप्ति से पहले या उस वर्ष के लिए निर्धारण के अंतिम होने की तिथि के बाद तीन वर्ष की समाप्ति से पहले, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, उस वर्ष के लिए डीलर की कर देयता का पुनर्निर्धारण कर सकता है, जिसके लिए पुनर्निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार, 2017-18 में समाप्त होने वाले मामलों को 2024-25 तक फिर से खोला जा सकता है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित वैट मामलों पर प्रतिवेदन में विचार किया गया है।

विभाग ने चार मामलों में आवेष्टित ₹ 0.06 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी तथा वर्ष 2022-23 में एक मामले में ₹ 26,543 वसूल किए।

₹ 9.47 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

## 4.3 अमान्य फॉर्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर कर की अनुमति प्रदान करने के कारण कर का अवनिर्धारण, जिसके परिणामस्वरूप डीलरों को अनुचित लाभ हुआ

**कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।**

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (सी.एस.टी. अधिनियम), 1956 की धारा 8 (4) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र डीलर, कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत न करे और जिसमें प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म में विवरण हों। इसके अतिरिक्त, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, झूठी सूचना और गलत लेखाओं या कर के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन/दावा किए गए लाभ का तीन गुणा) का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) (जनवरी 2018) जारी की है कि ऐसे मामलों में, जहां सत्यापन रिपोर्ट निर्धारण आदेश की तारीख से या सत्यापन पत्र के प्रेषण से छः माह के अंदर, जो भी बाद में हो, प्राप्त नहीं होती है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम या नियम में प्रदान किए गए अनुसार कर तथा पेनल्टी उद्ग्रहण करनी चाहिए।

वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्तूबर से नवंबर 2022) में पाया गया कि तीन मामलों में तीन डीलरों ने अपनी अंतर्राज्यीय बिक्री पर ₹ 17.69 करोड़ की राशि पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में डीलरों ने तीन 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2019 और मार्च 2021 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार सत्यापन के बिना विधिवत भरे गए घोषणा प्रपत्रों पर वास्तविक कर दर 13.125 प्रतिशत (12.5 प्रतिशत कर और पांच प्रतिशत अधिभार) लगाने के बजाय दो प्रतिशत की रियायती दर से कर की अनुमति दी। यद्यपि, कर-निर्धारण प्राधिकारी को छः महीने के भीतर सत्यापन पत्र भेजना था, लेकिन यह देखा गया कि पत्र 16 से 44 महीने की देरी से जारी किए गए।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-कर-निर्धारण प्राधिकारी, रेवाड़ी द्वारा सहायक आयुक्त, व्यापार और कर विभाग, नई दिल्ली के साथ सत्यापन किया गया (फरवरी 2023), जिसमें दो मामलों में नकली 'सी' फॉर्म का पता चला।

इसके अतिरिक्त, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, रेवाड़ी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2025) कि दो मामलों में पुनर्निर्धारण के बाद हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। इसके अलावा, डीलरों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी। एक मामले में आबकारी एवं कराधान अधिकारी, रेवाड़ी ने बताया कि पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

इस प्रकार, निर्धारित 'सी' फॉर्म के उचित सत्यापन के बिना, रियायती कर दर की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ और डीलरों को अनुचित लाभ भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

मामला जनवरी 2024 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

## 4.4 सकल टर्नओवर में उत्पाद शुल्क को शामिल न करने के कारण कर का अवनिर्धारण

**कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सकल टर्नओवर/करयोग्य टर्नओवर के आधार पर मामलों का निर्धारण ₹ 33.04 करोड़ के स्थान पर ₹ 25.34 करोड़ किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.87 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।**

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 2 (1) (जैडजी) में 'बिक्री मूल्य', प्रतिफल के रूप में माल की बिक्री के लिए किसी डीलर को देय राशि, में से व्यावहारिक रूप में नकद या व्यापार छूट को कम करना परंतु डीलर द्वारा वस्तु की डिलीवरी करते समय या करने से पहले डीलर द्वारा किए गए किसी भी चीज के लिए किसी भी राशि का समावेश, जिसमें भाड़ा, भंडारण अवमूल्यन, बीमा, हैंडलिंग प्रभार, उपकर, उत्पाद शुल्क, वजन, पैकिंग प्रभार, वारंटी, ड्राइंग और डिजाइनिंग, सेवा प्रभार और अन्य आकस्मिक व्यय के अंतर्गत लगाई गई राशि सम्मिलित होगी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त से सितंबर 2022) से पता चला कि वर्ष 2016-17 के लिए दो डीलरों के निर्धारण (नवंबर 2019 से जनवरी 2020) को अंतिम रूप देते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सकल टर्नओवर[2] (जी.टी.ओ.) में ₹ 7.70 करोड़ का उत्पाद शुल्क[3] शामिल नहीं किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सकल टर्नओवर का निर्धारण ₹ 33.04 करोड़ की सही राशि की बजाय गलत ढंग से ₹ 25.34 करोड़ के रूप में किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.87 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

---

[2] किसी भी डीलर के संबंध में प्रयुक्त "सकल टर्नओवर" का अर्थ ऐसे डीलर द्वारा प्रिंसीपल, एजेंट या किसी अन्य हैसियत से बेचे गए किसी माल के संबंध में प्राप्त या प्राप्य बिक्री मूल्यों का कुल योग है और इसमें राज्य से बाहर निर्यात किए गए या बिक्री के अलावा अन्य तरीके से निपटाए गए माल का मूल्य भी शामिल है।

[3] डीलर द्वारा ग्राहक से वसूला गया उत्पाद शुल्क कर के लिए टर्नओवर में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह वसूले गए विक्रय मूल्य का एक भाग है, भले ही इसे जारी किए गए बिल में अलग से दर्शाया गया हो।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फरीदाबाद (पूर्व, वार्ड-1 एवं 2) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2023 से अक्तूबर 2024) और बताया कि एक मामले में पुनर्निर्धारण के बाद डीलर को वैट एन2 नोटिस जारी कर दिया गया है, और दूसरे मामले में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत डीलर के विरुद्ध मांग नोटिस जारी कर दिया गया है। अंतिम परिणाम यथासमय सूचित किया जाएगा।

मामला अक्तूबर 2023 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

## 4.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ

**कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अंतरराज्यीय बिक्री के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.90 लाख का अधिक लाभ अनुमत किया गया।**

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के साथ पठित अनुसूची 'ई', प्रविष्टि 3(बी) के अनुसार, जब माल अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है तो इनपुट टैक्स, राज्य में इस तरह के सामान की खरीद पर वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की सीमा तक, जो भी कम हो, स्वीकार्य है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2022) से पता चला कि दो डीलरों ने ₹ 6.28 करोड़ की खरीदारी दिखाई थी और खरीद मूल्य पर ₹ 80.79 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 3.05 करोड़ की अंतरराज्यीय बिक्री के कारण ₹ 33.90 लाख[4] का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किया जाना था। वर्ष 2017-18 के लिए कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (सितंबर 2020), कर-निर्धारण प्राधिकारी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न लेने के कारण ₹ 33.90 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-कर-निर्धारण प्राधिकारी, रेवाड़ी ने बताया (नवंबर 2024) कि दोनों डीलरों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले प्रक्रियाधीन हैं, तथा उन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। अंतिम परिणाम यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

मामला दिसंबर 2023 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

[4] ₹ 33,90,254 = ₹ 3,04,74,188 × 11.125 प्रतिशत (खरीद पर 13.125 प्रतिशत की दर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया तथा अंतरराज्यीय बिक्री पर दो प्रतिशत की दर से आउटपुट कर का भुगतान किया गया)।

## 4.6 अंतिम स्टॉक पर कर का अनुद्ग्रहण

**कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरणों का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ के अंतिम स्टॉक पर ₹ 10.56 लाख के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 15.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।**

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य से बाहर निर्यात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, जो कर उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना देय है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (नवंबर 2022) से पता चला कि एक डीलर ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए शून्य रिटर्न फाइल की थी, लेकिन वर्ष 2016-17 के लिए उसका ट्रेडिंग खाता ₹ 1.01 करोड़ का अंतिम स्टॉक दिखा रहा था। डीलर का पंजीकरण 1 जुलाई 2017 से रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 2019 में कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरण को सत्यापित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ के अंतिम स्टॉक पर ₹ 5.28 लाख के ब्याज सहित ₹ 10.56 लाख के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कर की राशि का तीन गुना अर्थात ₹ 15.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, रेवाड़ी (अक्तूबर 2024) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि डीलर के विरुद्ध ₹ 26.41 लाख की वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और तीन वसूली नोटिस जारी करने के बाद भी डीलर का कोई पता नहीं चला। इसके बाद, करदाता की संपत्ति का विवरण जानने के लिए संबंधित तहसीलदार को पत्र भेजा गया है और करदाता के जमानतदारों को वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है।

मामला सितंबर 2023 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा जून 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।

## 4.7 मूवमेंट के दौरान ई-1 अनुवर्ती बिक्री का लाभ अनुमत करने के कारण कर का अवनिर्धारण

**कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय बिक्री का निर्धारण किया (हालांकि डीलर ने ई-1 फॉर्म जमा नहीं किया था) और वस्तु को कपास के बजाय कर मुक्त ग्वार मान लिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 12.15 लाख की राजस्व की हानि हुई।**

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 (2) में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की मूवमेंट के दौरान बाद में बिक्री पर फॉर्म ई-1 में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर कर से छूट का प्रावधान

है। धारा 17 में कर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान है। सितंबर 2015 में किए गए संशोधन ने कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर के पुनर्निर्धारण की समय-सीमा बढ़ा दी है और आयुक्त को उस वर्ष की समाप्ति के बाद आठ वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले या उस वर्ष के लिए कर-निर्धारण के अंतिम होने की तिथि के बाद तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले, जो भी बाद में हो, किसी भी समय पुनर्निर्धारण करने की अनुमति दी गई है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), सिरसा के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2022) से पता चला कि एक मामले में एक डीलर ने ₹ 15.45 करोड़ में कपास खरीदी और ₹ 15.73 करोड़ में कपास बेची तथा वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 6.07 करोड़ मूल्य के ई-1 (कपास जे-34 की अनुवर्ती बिक्री) का दावा किया। तथापि, जनवरी 2018 में कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी ने बिक्री का निर्धारण किया (भले ही डीलर ने ई-1 फॉर्म जमा नहीं किया था) और वस्तु को कपास के बजाय कर मुक्त ग्वार के रूप में माना, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 12.15 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, सिरसा ने पैरा को स्वीकार किया और बताया कि मामले का फरवरी 2024 में पुनर्निर्धारण किया गया था तथा ई-1 फॉर्म के दावे को अस्वीकार करते हुए ₹ 24.30 लाख (₹ 12.15 लाख के ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। वसूली के लिए डीलर को कर मांग नोटिस भी जारी किया गया है।

मामला अगस्त 2024 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था तथा सितंबर 2024 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2025)।